उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी- ३८ /वसूली कार्यक्रम/2019-20 दिनांकः १९.०६.१९

समस्त शाखा/वरि0 प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- वसूली कार्यक्रम 2019-20

आप अवगत है कि बैंक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणों हेतु नाबार्ड तथा अन्य संस्थाओं से पुनर्वित्त प्राप्त किया जाता है तथा निजी संसाधनों से भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अदायगी बैंक को नियत तिथि पर निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज सहित अदायगी करनी होती है। अतः बैंक ऋण की उपलब्धता बनाये रखने एवं बैंक के अशोध्य ऋणों के निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप न्यूनतम स्तर तक लाये जाने के क्रम में आवश्यक है कि ऋणी सदस्यों से प्रभावी वसूली किया जाय।

सहकारी वसूली वर्ष 2018-19 में बैंक के वसूली अभियान को गति प्रदान करने हेतु उच्च स्तरों एवं बैंक स्तर से कतिपय प्रयास किये गये तथा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से शाखाओं को विभिन्न प्रकार के निर्देश एव समीक्षा बैठकें आहूत करायी गयी।

सहकारी वर्ष 2018-19 में बैंक के बढ़ते हुए एन.पी.ए. को कम करने एवं कृषकों को राहत पुहॅचाने के उद्देश्य से बैंक में एक मुश्त समाधान योजना-2018 लागू की गई, जिसमें प्रदेश स्तर पर दि0 01.07.2018 को कुल पात्र 2,04,201 लाभार्थी अवशेष रह गये थे जिसके सापेक्ष दि0 30.06.19 तक के अनन्तिम विवरण पत्र के अनुसार मात्र 21,101 कृषकों से समझौते कराते हुए रू0 188.22 करोड़ धनराशि जमा कराई गई जो कि पात्र कृषकों का मात्र 10.33 प्रतिशत है। आप द्वारा बकायेदारों से समझौता कराने हेतु समुचित प्रयासों के अभाव में आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुये फलस्वरूप प्रदेश स्तर पर वसूली मात्र 25.26 प्रतिशत हुयी।

अतः वसूली कार्यक्रम को सफल बनाने एवं उत्तरोत्तर गति प्रदान करने व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 हेतु अधोलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं-

1. सर्वप्रथम 30 जून 2019 के डी0सी0बी0 रजिस्टर के आधार पर **शून्य वसूली वाले बकायेदारों एवं ऐसे बकायेदार जिन्होनें बैंक में बंधक रखी भूमि को बेच दिया है,** को चिन्हित करते हुए उनकी सूचना बकाया धनराशि के अवरोही क्रम **(Descending Order)** में तैयार कर लिया जाए तथा सभी फील्ड कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों को कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाय, तथा सभी फील्ड कर्मचारी उपरोक्त बकायेदारों का विवरण रजिस्टर पर अलग सूचीबद्ध कर लें।
2. **बैंक देयों की वसूली की समीक्षा समय-समय पर शासन, आयुक्त एवं निबन्धक, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा की जा रही है, जिसके क्रम में शाखा की बकाया मॉग कम करने के उद्देश्य से बैंक के एक लाख से बड़े बकायेदारों की जिलावार एवं शाखावार सूची दि0 20.08.2019 तक तैयार की जाय, बकायेदारों की सूची तैयार कर जनपदवार संकलित करते हुए वसूली अनुभाग को बुकलेट एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराई जाय।**
3. **रू0 एक लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध साईटेशन, वारन्ट, गिरफ्तारी, नीलामी प्रकाशन, कुर्की, बैंक पक्ष में भूमि की अमल दरामद आदि कार्यवाहियॉ करते हुये इन बकायेदारों से प्रभावी वसूली हेतु तत्काल अवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।**
4. उक्तानुसार बड़े बकायेदारों की सूची में आच्छादित कुल बकायेदारों की सं0 के सापेक्ष वसूली हेतु माह अगस्त में 5 प्रतिशत, माह सितम्बर तक 10 प्रतिशत, माह अक्टूबर तक 15 प्रतिशत, माह नवम्बर तक 25 प्रतिशत, माह दिसम्बर तक 35 प्रतिशत, माह जनवरी 19 तक 40 प्रतिशत, माह फरवरी तक 45

प्रतिशत, माह मार्च 50 प्रतिशत, माह अप्रैल तक 60 प्रतिशत, माह मई तक 70 प्रतिशत एवं माह जून तक शत- प्रतिशत पूर्ति के क्रमिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते है।

5. उक्तानुसार आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से समस्त फील्ड स्टाफ के मध्य तत्काल लक्ष्य आवंटित कर दें, तथा इन बकायेदारों से वसूली हेतु सघन अभियान चलाकर वसूली की नियमानुसार कड़ाई से कार्यवाही करते हुए पूर्ति सुनिश्चित की जाय।
6. शाखा के 20 बड़े बकायेदारों की सूची मो0 नं0 अंकित करते हुए प्र0का0 के वसूली अनुभाग को दो प्रतियों में हार्ड एवं साफ्ट कापी में मण्डल की समस्त शाखाओं की बुक लेट बनवाकर प्रेषित की जाय, तथा मण्डल के 20 बड़े बकायेदारों की सूची पृथक से प्रेषित की जाय।
7. सहकारी देयों की वसूली का मूल मंत्र **व्यक्तिगत सम्पर्क कर तकादा** है, इसलिये अति आवश्यक है कि शाखा के प्रत्येक बकायेदार से अधिक से अधिक तकादे किये जायें। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि शाखा के कर्मचारियों के मध्य वसूली हेतु ग्राम आवंटित अवश्य कर दिया जाय। शाखा के सभी कार्मिक अपना-अपना तकादा रजिस्टर रखेगे तथा जिस बकायेदार से सम्पर्क करेंगे, **उसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि बकायेदार द्वारा किस तिथि को पैसा जमा करने का वायदा किया है तथा जिस दिन वायदा किया हो, उस दिन बकायेदार से सम्पर्क अवश्य किया जाय और यह सम्पर्क तब तक किया जाय तब तक उसका पैसा जमा न हो जाय।**
8. बैंक के एन0पी0ए0 में अत्यधिक कमी लाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, जिसके लिए विशेष रूप से उपमानक **(Sub standard)** तथा संदिग्ध- **(Doubtful-)** श्रेणी के खातों पर विशेष ध्यान देते हुए, इनकी शत्-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करायी जाय क्योकि वार्षिक संन्तुलन पत्र तैयार करते समय उक्त श्रेणियों से सम्बन्धित खातों हेतु सबसे ज्यादा प्रावधान करना पड़ता है। अतः ऐसे ऋण खाते जो नई मांग लगने के बाद वसूल न होने के कारण पहली बार बकाया हुआ है, जिसे नया बकाया कहा गया है, उनकी शत-प्रतिशत वसूली प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय एवं मानक श्रेणी के खाते उपमानक में परिवर्तित न हो इस हेतु विशेष प्रयास किये जाय।
9. गत वर्ष की भांति श्रेणीवार बकायेदारों यथा- ऐसे ऋण गृहीता जिन्होने बैंक पक्ष में बन्धक रखी अपनी भूमि बेंच दी हो, एन0पी0ए0 के श्रेणियों में सूचीबद्ध खातें जिनमें ऋणी द्वारा ऋण लेने के उपरान्त कोई भी धन न जमा किया हो अर्थात इन खातों में वसूली शून्य हो, शासकीय योजनाओं में वितरित ऋण का बकायेदार तथा विवादित/न्यायालय में विचाराधीन ऋण खातों, यदि कोई ऐसे हों तो उनको चिन्हित करते हुए इन खातों की वसूली हेतु अधोलिखित कार्यवाही अलग से सुनिश्चित की जाय-

   (क)- ऐसे कृषक जिन्होने अपनी बन्धक ग्रस्त भूमि बेच दी है, विवादित ऋण खाते तथा न्यायालय में विचाराधीन ऋण खातों की **वसूली का दायित्व पूर्णरूप से तत्कालीन शाखा प्रबन्धक का होगा**। इन खातों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्व निर्गत परिपत्र के अनुसार नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही अमल में लायी जाय।

   (ख)- शाखा के ऐसे ऋणी कृषकों/बकायेदारों को चिन्हित किया जाय जिनके ऋण खाते एन0पी0ए0 की श्रेणियों में सूचीबद्ध है तथा इन ऋण खातों में ऋण लेने के उपरान्त कोई भी धन न जमा किया हो अर्थात इन खातों में वसूली शून्य हो उन खातों में सघन अभियान चला कर कर्मचारीवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए वसूली सुनिश्चित की जाय।
10. वसूली के सम्बन्ध में दाखिल हुए कोर्ट केस के मामलों में कोर्ट का आदेश बाधक न होते हुए भी वसूली की कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः ऋण वसूली से सम्बन्धित कोर्ट के प्रकरणों का विस्तृत विवरण एक रजिस्टर पर दर्ज किया जाय तथा कोर्ट के प्रत्येक आदेश का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नगत मामलों में वसूली की कार्यवाही हो सकती है अथवा नहीं तथा किन मामलों में वसूली स्थगित रखी जायेगी। यदि वसूली कार्यवाही स्थगित है तो स्थगन आदेश कब तक प्रभावी है, इस प्रकार के संदर्भों के **अनुश्रवण का दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।** उक्तानुसार कोर्ट केस के प्रकरणों की शाखावार सूची